

कार्यालय मुख्य अभियंता  
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र, ग्वालियर

Web site : www.mp.gov.in/pswdmp, E-mail : cepwdnorth@mp.nic.in  
Phone : 0751-2340932, 2340731, Fax : 2341103

क्रमांक 43/ग्वा./एमडीआर/डीपीआर/सं/2015/

ग्वालियर, दिनांक

पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-52/1/10/यो/19-47 भोपाल दिनांक 3-4/01/2011 द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाना बाबत-मार्ग निर्माण हेतु मैन्युअल की कण्डिका 2.006 में दिये प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ग्वालियर जिले के अंतर्गत मुख्य जिला मार्ग शिवपुरी लूप शीतला माता चीनोर - डबरा मार्ग लम्बाई 50.75 किमी. पुल-पुलिया सहित के प्राक्कलन अनुसार रु. 11312.23 लाख की पत्र क्रमांक 3544-45 ग्वालियर दिनांक 11.04.2017 से प्रदाय तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति राशि रु. 12219.44 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति (एस.ओ.आर. 03.11.2014) प्राक्कलन क्रमांक 15/मु.अ. (उत्तर) वर्ष 2017-18 से परिक्षेत्रीय पत्र क्र. 6271-72 दिनांक 15.6.2017 द्वारा प्रदाय की गई थी।

प्रमुख अभियंता, लोनिवि भोपाल के पत्र क्र.66-ए/नाबार्ड/लागत परीक्षण समिति/17/369 दिनांक 28.7.2017 के संदर्भ में एवं मार्ग के एकरेखण में आ रही वन भूमि एवं पेड़ कटिंग की लागत का समावेश कर प्राक्कलन तैयार कर लम्बाई 51.40 किमी. हेतु पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति राशि रु. 12238.48 लाख (रु. एक सौ बाईस करोड अड़तीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति (एस.ओ.आर. 03.11.2014) प्राक्कलन क्रमांक 15/मु.अ. (उत्तर) वर्ष 2017-18 से प्रदाय की जाती है। तथा परिक्षेत्रीय पत्र क्र. 6271-72 दिनांक 15.6.2017 द्वारा प्रदाय की गई पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति को निरस्त किया जाता है।

कार्य का सम्पादन एम.ओ.आर.टी.एच. के पंचम संस्करण के स्पेशीफिकेशन के अनुसार कराया जावे तथा पुल पुलियों की डिजाइन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराई जाये। किसी भी परिस्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति राशि से अधिक का व्यय नहीं किया जावे।  
सहपत्र-स्वीकृत प्राक्कलन

मुख्य अभियंता  
लो.नि.वि.उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर

पृ. क्रमांक 43/ग्वा./एमडीआर/डीपीआर/सं/2015/13313 ग्वालियर, दिनांक 22/11/17  
प्रतिलिपि:

- 1/ प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2/ अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल ग्वालियर की ओर उनके पत्र क्र. 5436 दिनांक 1.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 3/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.2 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य अभियंता  
लो.नि.वि.उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर